

प्रेषक,

आरोकेमिश्र,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

विषयः... महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।
महोदय,

लखनऊ: दिनांक: २५ अक्टूबर, 2008

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-पूर्वोविभाग/सम्बन्ध/11-31(एक)/2008/1489, दिनांक 05.08.2008 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तरप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री राज्यपाल रायगढ़ महिला महाविद्यालय, भीमपुरा नं०-१, बलिया को स्नातक रत्त पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों पर स्ववित्तप्रेरित योजनान्वर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता को सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851 / सत्र-2-2003-16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्णत शासनादेशों का पालन करायी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं भानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को युक्तिभूत रूपों के कारण जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
भवदीय,

(आरोकेमिश्र
अनु सचिव)

संख्या-3216(1) / सत्र-6-2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3. प्रबन्धक, सागर महिला महाविद्यालय, भीमपुरा नं०-१ बलिया।
4. निजी सचिव, मार्ग उच्च शिक्षा मंत्री जी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(आरोकेमिश्र,
अनु सचिव)

शुभार्थी
प्रबन्धक

ब. भीक्षीर सिंह
प्रबन्धक
सागर महिला महाविद्यालय
भीमपुरा नं०-१, बलिया